

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :-प.32(बी)(1)आब/एल/2021-22/ 3599

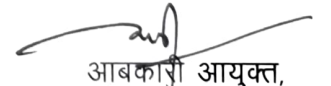
दिनांक : 16.02.2022

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण बाबत सूचना

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पडत/बेक आउट कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से दिनांक 25 फरवरी, 2022 को ई-नीलामी आयोजित की गई है। इच्छुक बोलीदाता एम.एस.टी.सी. की साईट पर दिनांक 18.02.2022 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 24.02.2022 रात्रि 11.59 पी.एम. तक आवेदन कर सकेगा। नीलामी दिनांक 25.02.2022 को प्रातः 11.00 बजे से साय 4.00 बजे तक रहेगी। नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहेगी तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
- आवेदन शुल्क पूर्वानुसार "मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस" के अनुसार ही रहेगा।
- अमानत राशि-बेक आउट कम्पोजिट मदिरा दुकान के लिए वर्ष 2021-22 की शेष अवधि हेतु निम्नलिखित प्रकार से अमानत राशि निर्धारित की जाती है तथा शेष दुकानों के लिए अमानत राशि पूर्ववत रहेगी।

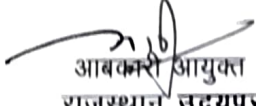
श्रेणी (मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान)	अमानत राशि (रु.)
50 लाख रुपये तक	2,00,000
50 लाख रुपये से अधिक एवं 2 करोड़ रुपये तक	3,00,000
2 करोड़ रुपये से अधिक	5,00,000

- सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण धरोहर राशि, निर्धारित अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं निर्धारित कम्पोजिट फीस नियमानुसार जमा कराना होगी।
- दुकानवार न्यूनतम रिजर्व प्राईस व कम्पोजिट फीस विभागीय वेबसाईट पर दर्शित है। दर्शाई गई "न्यूनतम रिजर्व प्राईस" वार्षिक (12 माह के लिए) है। वास्तविक गारन्टी राशि एवं वार्षिक कम्पोजिट फीस की गणना अनुज्ञापत्र हेतु जारी स्वीकृति की तिथि से आनुपातिक आधार पर की जायेगी।
- अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी। उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, शर्तें तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexcise.gov.in> एवं एम.एस.टी.सी.लिमिटेड की वेबसाईट <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध है।


आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), आबकारी विभाग, उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान।
6. ब्रांच मैनेजर, एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी. अनुभाग, उदयपुर/ श्री नारायण सिंह बिष्ट, प्रोग्रामर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पडत/बेक आउट कम्पोजिट मदिरा दुकानों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें एवं एम.एस.टी.सी. को सूचित करें।
8. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन समस्त.....।
9. जिला आबकारी अधिकारी समस्त.....।


आबकारी आयुक्त
राजस्थान उदयपुर